

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच

(1) एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस (याचिका) संख्या 2216/2018

शालिवाहन सिंह राठौड़ पुत्र श्री राज सिंह राठौड़, निवासी बी-74, वल्लभ नगर, कोटा राज।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड.ए-14-ए, इन्द्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, रोड नं.1, कोटा, सामान्य प्रबंधक रवीदत्त, पुत्र सोमदत्त, निवासी 265-ए, तलवंडी, कोटा, राज

----प्रतिवादी

2) एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस (याचिका) संख्या 2220/2018

रवि प्रताप सिंह पुत्र राम कृपाल सिंह, निवासी फैकल्टी बंसल क्लासेस, बंसल टॉवर, इन्द्रप्रस्थ, इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नं.1, कोटा राज।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड.ए-14-ए, इन्द्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, रोड नं.1, कोटा, सामान्य प्रबंधक रवीदत्त, पुत्र सोमदत्त, निवासी 265-ए, तलवंडी, कोटा, राज

----प्रतिवादी

(3) एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस (याचिका) संख्या 2221/2018

निशांत गुप्ता पुत्र स्व. डॉ. सुरेश गुप्ता, निवासी ई-801, अशिरवाद आनंदम, श्रीनाथपुरम, कोटा राज।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड.ए-14-ए, इन्द्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, रोड नं.1, कोटा, सामान्य प्रबंधक रवीदत्त, पुत्र सोमदत्त, निवासी 265-ए, तलवंडी, कोटा, राज

----प्रतिवादी

(4) एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस (याचिका) संख्या 2224/2018

निर्भय पांडेय पुत्र श्री वी.एन. पांडेय, ए-405, शकुन एनक्लेव, आनंदपुरा, कोटा राज।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. एम/एस वाइब्रेंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड.ए-14-ए, इन्द्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, रोड नं.1, कोटा, सामान्य प्रबंधक रवीदत्त, पुत्र सोमदत्त, निवासी 265-ए, तलवंडी, कोटा, राज

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री दुश्यंत सिंह नरूका

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री एम.के. श्योराण, पी.पी.,
श्री हर्षिता शर्मा
श्री विभु साक्षी शर्मा

माननीय श्री. जस्टिस अनिल कुमार उपमन

निर्णय

तारीख उच्चारण :03/05/2024(रिपोर्टबल)

1. ये विविध याचिकाएँ संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ चल रही समस्त आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए दायर की गई हैं (जिसके विवरण नीचे उल्लिखित हैं) जो कि अनुत्तरदाता संख्या 2 अर्थात्, एम/एस वाइब्रेंट अकादमी द्वारा उनके विरुद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज की गई हैं:

क्रमांक	शिकायत प्रकरण संख्या	पक्षकार का नाम	अन्य विवरण
1.	891/2017	वाइब्रेंट अकादमी (1) प्रा. लि. बनाम शालिवाहन सिंह राठौड़	विचाराधीन, विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या 3 के समक्ष, कोटा, राजस्थान
2.	20682/2017	वाइब्रेंट अकादमी (1) प्रा. लि. बनाम रवि प्रताप सिंह	विचाराधीन, विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या 3 के समक्ष, कोटा, राजस्थान
3.	16289/2017	वाइब्रेंट अकादमी (1) प्रा. लि. बनाम निशांत गुप्ता	विचाराधीन, विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या 3 के

			समक्ष, कोटा, राजस्थान
4.	20609/2017	वाइब्रेंट अकादमी (1) प्रा. लि. बनाम निर्भय पांडेय	विचाराधीन, विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या 3 के समक्ष, कोटा, राजस्थान

2. चूंकि इन सभी विविध याचिकाओं में कानून का एक सामान्य प्रश्न शामिल है और उपरोक्त सभी आपराधिक शिकायतें एक ही और सामान्य शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई हैं, जिनमें समान और एक जैसी आरोपणाएं एक ही न्यायालय अर्थात्, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट मामले संख्या 3, कोटा, राजस्थान के समक्ष की गई हैं, अतः इन सभी चारों विविध याचिकाओं की सुनवाई और निस्तारण इस समान निर्णय के द्वारा एक साथ किया गया है।

3. इन विविध याचिकाओं की पृष्ठभूमि संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी एम/एस वाइब्रेंट अकादमी (1) प्रा. लिमिटेड आई.आई.टी. जेईई कोचिंग संस्थान चला रही है। प्रतिवादी कंपनी ने यहां याचिकाकर्ताओं को कुछ शर्तों और नियमों के अधीन फैकल्टी के रूप में रोजगार हेतु अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया था। शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने अनुबंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी क्षति की पूर्ति हेतु संबंधित याचिकाकर्ताओं से संदर्भित चेक (जो नीचे उल्लिखित हैं) प्राप्त किए थे।

क्रम सं	चेक आहरितकर्ता (याचिकाकर्ता)	चेक नंबर एवं अन्य विवरण
1.	शालिवाहन	चेक संख्या 976147 दिनांक 22.06.2017, राशि ₹6,00,000/- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इंस्ट्रुमेंटेशन टाउनशिप शाखा कोटा
2.	रवि प्रताप सिंह	चेक संख्या 839169 दिनांक 22.06.2017, राशि ₹28,50,000/- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इंस्ट्रुमेंटेशन टाउनशिप शाखा कोटा
3.	निशांत गुप्ता	चेक संख्या 891853 दिनांक 22.06.2017, राशि ₹41,50,000/- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इंस्ट्रुमेंटेशन टाउनशिप शाखा कोटा
4.	निर्भय पांडेय	चेक संख्या 525401 दिनांक 22.06.2017, राशि ₹34,50,000/- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इंस्ट्रुमेंटेशन टाउनशिप शाखा कोटा

4. संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को ये विवादित चेक सुरक्षा के रूप में जारी किए गए थे और उस समय उनमें तिथि अंकित नहीं थी। पक्षों के मध्य यह सहमति बनी थी कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी को यह स्वतंत्रता होगी कि अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर वे चेकों का भुगतान पाने हेतु प्रस्तुत कर सकेगा और याचिकाकर्ता उन्हें प्रस्तुत किए जाने पर उनका सम्मान करने के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं को अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर

कई कानूनी नोटिस (नागरिक और आपराधिक दोनों) जारी किए। याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक नोटिस का पृथक उत्तर देते हुए अपनी आपत्तियां/प्रतिरक्षा उसमें उल्लेख की, और जब विवादित चेक का सम्मान नहीं किया गया, तो प्रतिवादी कंपनी ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. अधिनियम मामले, क्रमांक 3, कोटा के समक्ष एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत पृथक प्रकरण दायर कर दिए। विद्वान निचली अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अपराध का संज्ञान ले लिया है और वहां पर मामले की कार्यवाही चल रही है। अतः, याचिकाकर्ताओं ने ये विविध याचिकाएँ दायर की हैं, जिनमें उनके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित शिकायत प्रकरणों की समस्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का निवेदन किया गया है।

5. श्री दुश्यंत सिंह नरुका, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित ने जोरदार एवं पुरजोर रूप से प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लंबित समस्त आपराधिक शिकायत मामलों की कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं शिकायतकर्ता कंपनी ने स्वीकार किया है कि जब अनुबंध याचिकाकर्ताओं एवं शिकायतकर्ता के बीच अस्तित्व में आया, उस तिथि को कोई वैध ऋण या अन्य देनदारी अस्तित्व में नहीं थी। विवादित चेक भी उसी दिनांक अर्थात् अनुबंध की तिथि को शिकायतकर्ता के पक्ष में ड्रा किए गए थे, लेकिन वे दिनांकहीन हैं। यह भी तर्क किया गया कि जिस अनुबंध के चलते यह देनदारी उत्पन्न हुई, वह एक अस्पष्ट और अनिश्चित अनुबंध है और ये चेक केवल भविष्य की किसी संभावित हानि की पूर्ति के लिए इन्डेमनिटी बॉन्ड के रूप में लिए गए थे, जो कि भविष्य

में हो भी सकती है और नहीं भी। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि एन.आई. एक्ट की धारा 138 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'किसी ऋण या अन्य देनदारी की पूर्ति के लिए का अर्थ महत्वपूर्ण और निर्णायक है। इसका अर्थ है कोई वैध रूप से लागू की जा सकने वाली देनदारी या ऋण। इससे कोई संदेह नहीं रह जाता कि एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध आकर्षित करने के लिए, कोई विधिक रूप से लागू देनदारी होनी चाहिए। कोई भी वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य देनदारी उस तिथि को अस्तित्व में होनी चाहिए, जब चेक जारी किया गया हो। लेकिन जब चेक जारी किए गए, उस तिथि को कोई वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण मौजूद नहीं था, अतः एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध चल रही कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है और उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, जो **2014** सीआर.एल.आर. (एससी)387 में रिपोर्टेड है, पर विश्वास रखा है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान इंडस एयरवेज (सुप्रा)मामले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया है:-

“19. दिल्ली उच्च न्यायालय का उपर्युक्त तर्क स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है, क्योंकि इसने एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत दीवानी देनदारी और आपराधिक देनदारी के बीच सूक्ष्म भेद को ध्यान में नहीं रखा। यदि अनुबंध में प्रवेश करने के समय, अनुबंध की शर्तों में से एक यह है कि क्रेता को अग्रिम में राशि का भुगतान करना है और यदि उस शर्त का उल्लंघन होता है, तो क्रेता को विक्रेता को हुई क्षति की भरपाई करनी पड़ सकती है, किंतु वह एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक देनदारी नहीं बनाता। धारा 138 के तहत आपराधिक देनदारी उत्पन्न करने के लिए, उस तिथि को जब चेक जारी किया गया हो, कोई वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य देनदारी अस्तित्व में होनी चाहिए। हम दिल्ली उच्च न्यायालय के इस मत को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अनुबंध पर हस्ताक्षर

करने के समय, अग्रिम भुगतान हेतु जारी किया गया चेक, दायित्व के अस्तित्व में होने के रूप में माना जाए, और ऐसे चेक का अनादरण धारा 138 के तहत अपराध हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 138 के दायरे से परे जाकर यह निर्णय दिया है कि धारा 138 बनाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा, यदि आर्डर देने और अग्रिम भुगतान करने के बाद भुगतान रोकने के निर्देश दिए जाएं और आदेश रद्द कर दिए जाएं। हमने जो विचार विमर्श किया है उसमें उपरोक्त में, यदि कोई चेक वस्तुओं की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान के तौर पर जारी किया गया है और किसी भी कारणवश खरीद आदेश अपने तर्कसंगत निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, चाहे उसके निरस्तीकरण या अन्यथा कारणों से, तथा जिसके लिए खरीद आदेश दिया गया था, वह सामग्री या सामान आपूर्तिकर्ता द्वारा सप्लाई नहीं किया गया; तो हमारे विचार अनुसार, ऐसे स्थिति में वह चेक किसी विद्यमान ऋण या देनदारी के लिए जारी किया गया नहीं माना जा सकता।”

6. इन प्रस्तुतियों के साथ, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने निवेदन किया कि विविध याचिकाएँ स्वीकार की जाएं एवं ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लंबित सभी मुकदमों की कार्यवाही निष्पादित/रद्द की जाए।

7. दूसरी ओर, सुश्री हर्षिता शर्मा एवं सुश्री विभु साक्षी शर्मा, जो प्रतिवादी शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता हैं, उन्होंने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता की प्रस्तुतियों का विरोध किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, अपने विवेक का उचित प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के आदेश में कोई अवैधता नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर विवादित चेक की राशि का भुगतान करने में असफल रहे, अतः उनके विरुद्ध एन.आई. एक्ट के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई। उनका यह भी कहना है कि जब चेक जारी किए गए और उन पर हस्ताक्षर स्वीकार किए गए, तो चेकधारक के पक्ष में वैध रूप से

प्रवर्तनीय ऋण की विधि अनुमान उत्पन्न हो जाती है। यदि चेक आहरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए गए हैं, तो चेक पर तिथि का अंकित न होना या जारी/झों करते समय चेक का अदिनांकित होना, विरोधी पक्ष के किसी काम का नहीं है। उनका कहना है कि एक पोस्ट डेटेड चेक को तारीखयुक्त दिनांक को आहरित माना जाता है जिस दिनांक को वह दर्शाता है और केवल वही तिथि, जो चेक पर लिखी है, वही प्रासंगिक तिथि मानी जाएगी और उसी तिथि को वह “चेक” के स्वरूप में माना जाएगा।

8. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर भरोसा करते हैं जो **आई.सी.डी.एस. लिमिटेड बनाम बीना शबीर : 2002 (2) एस सी सी 426** के मामले में आया। उनका कहना है कि **बीना शबीर** (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि सुरक्षा हेतु दिए गए चेक भी एन.आई. एक्ट की धारा 138 के दायरे में आएंगे, और कोई भी व्यक्ति अपनी देनदारी से बच नहीं सकता। जब चेक प्रस्तुत किए जाने की तिथि पर कोई विद्यमान देनदारी हो और “सुरक्षा चेक” अनादृत हो जाएं, तो अभियुक्त धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत उत्तरदायी होगा। उनका यह भी कहना है कि **इंडस एयरवेज** (सुप्रा) में उद्धृत टिप्पणियां ओबिटर डिक्टा हैं, चूंकि वे निर्णय के लिए आवश्यक नहीं थीं। इसी तरह, **बीना शबीर** (सुप्रा) के पूर्व निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया। निम्नलिखित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है:-

(i) दशरथभाई त्रिकंबाई पटेल बनाम हितेश महेन्द्रभाई पटेल एवं अन्य, 2022 लाइवलों (एस सी) 830 में रिपोर्टेड; तथा

(ii) एम/एस श्रीदनेश्वर ट्रेडर्स बनाम संजय जैन एवं अन्य, (2019) 16 एस सी सी 83 में रिपोर्टेड।

अतः विद्वान वकील ने इन विविध याचिकाओं को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

9. मैंने बार पर प्रस्तुत तर्कों को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखा है।

10. विवादित चेकों का याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी के पक्ष में हस्ताक्षर करके जारी करना विवाद का विषय नहीं है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि जब विवादित चेक शिकायतकर्ता को दिए गए, उस समय उनमें तिथि नहीं लिखी गई थी और वे केवल सुरक्षा के उद्देश्य से दिए गए थे। मुख्य तर्क, जिस पर याचिकाकर्ताओं के वकील जोर दे रहे हैं, यह है कि जब चेक जारी/निर्गमित किए गए, उस समय कोई कानूनी रूप से लागू होने वाला ऋण या अन्य देनदारी नहीं थी, इसलिए एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

11. याचिकाकर्ताओं ने पूरी जानकारी के साथ शिकायतकर्ता कंपनी के साथ उनके रोजगार के लिए शर्तों और नियमों के तहत अनुबंध किया था, और अनुबंध के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित बिना तारीख वाले चेक कंपनी को दिए गए थे। जब याचिकाकर्ताओं ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया, तो वे चेक शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए और चेक के अनादर/डिशऑनर होने पर, एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरंभ की गई। याचिकाकर्ताओं को उक्त अनुबंध पर किसी भी प्रकार का संदेह या आपत्ति थी तो उन्हें शुरुआती स्तर पर ही उसे चुनौती देना चाहिए था। परंतु, याचिकाकर्ता स्वयं उस अनुबंध की शर्तों को स्वीकार कर चुके हैं।

12. जैसा भी हो, याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी कंपनी के बीच जो अनुबंध/अनुबंध किए गए हैं, वे वैध अनुबंध हैं या नहीं तथा क्या उनके शर्तों के उल्लंघन पर देनदारी उत्पन्न होती है या नहीं—इसका निर्णय इस स्तर पर नहीं किया जा सकता और इसे विचारणीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य की जांच एवं मूल्यांकन के बाद ही तय किया जाना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस स्तर पर साक्ष्य की प्रस्तुति व मूल्यांकन वांछनीय नहीं है। अतः यह न्यायालय इस मामले के इस पहलू पर कोई टिप्पणी करने के लिए इच्छुक नहीं है। इस दृष्टिकोण को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय रथीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2022 एससीसी ऑफ़लाइन स्कोर 513 में भी पुष्टि मिली है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:-

“.....किसी भी स्थिति में, जब कोई कानूनी अनुमान हो, तो समापन करने वाली अदालत के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह आरोपित तथ्यों की विस्तृत जांच करे, बिना पहले विचारणीय अदालत को पक्षकारों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने का अवसर दिए। समापन करने वाली अदालत को स्वयं यह बोझ नहीं लेना चाहिए कि वह विवादित तथ्यों में से सत्य और असत्य को अलग करे। सरल शब्दों में कहें तो, समापन की कार्यवाही तथ्यों के विवाद की गहराई में जाकर शिकायतकर्ता या प्रतिरक्षा पक्ष—किसी भी पक्ष का समग्र रूप से समर्थन करने का माध्यम नहीं बननी चाहिए।”

13. दोनों पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जब चेकों की निकासी की गई, उस समय कोई ऋण या देनदारी शेष नहीं थी। विवादित चेक (बिना तिथि वाले) सुरक्षा के तौर पर दिए गए थे और शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार, अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर उन्हें नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। मामले में सालार सॉल्वेंट

एक्सट्रैक्शन्स लिमिटेड बनाम साउथ इंडिया विस्कोस लिमिटेड : (1994) 3 अपराध 295 (मैड) के निर्णय में यह माना गया है कि केवल वही तिथियाँ महत्वपूर्ण मानी जाएंगी, जो चेकों पर लिखी होती हैं। कोई पोस्ट डेटेड चेक उसी तिथि को निकासी हेतु माना जाएगा, जो उस पर लिखी हो।

14. मैंने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णयों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। मेरी सोच के अनुसार, इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ वर्तमान मामले से पूरी तरह भिन्न हैं। उक्त मामले में चेक सुरक्षा के तौर पर जारी किए गए थे। खरीद आदेशों के लिए अग्रिम भुगतान किया गया। वहाँ अनुबंध की शर्तों में से एक यह थी कि पूरा भुगतान आपूर्तिकर्ता को अग्रिम में किया जाएगा क्योंकि उसे विदेश से पार्ट्स मंगवाने थे। उक्त मामले में, क्रेता ने खरीदी का आदेश रद्द कर दिया और आपूर्तिकर्ता से दोनों चेक वापस करने का अनुरोध किया। हालांकि, जब चेक प्रस्तुत किए गए, तो वे इस आधार पर अनादरित हो गए कि क्रेता ने भुगतान रोक दिया था। इस प्रकार, ऐसी स्थिति से निपटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व तभी बनता है, जब चेक की निकासी की तारीख को कोई कानूनी रूप से लागू होने वाला ऋण शेष हो। लेकिन वर्तमान मामले में, परिस्थितियाँ पूरी तरह अलग हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को इस मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दशरथभाई त्रिकमभाई पटेल (सुप्रा) मामले में, इंडस एयरवेज (सुप्रा) मामले में पारित उपरोक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह माना है

कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी भी अपराध के घटित होने के लिए, अपमानित हुआ चेक परिपक्वता या प्रस्तुति की तिथि पर कानूनी रूप से लागू होने वाले ऋण का प्रतिनिधित्व करता हो। इस संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियाँ संदर्भ हेतु नीचे दी जा रही हैं:-

“14. इंडस एयरवेज (सुप्रा) से लेकर सुनील तोदी (सुप्रा) तक के निर्णय दर्शाते हैं कि क्या सुरक्षा के तौर पर जारी किए गए पोस्ट डेटेड चेक एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के दायरे में आते हैं या नहीं, इसका विश्लेषण समय की प्रासंगिकता पर निर्भर करता है। इंडस एयरवेज (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने माना कि धारा 138 के तहत अपराध की संगतता के लिए, चेक जारी किए जाने की तारीख को कोई ऋण अवश्य होना चाहिए। हालांकि, बाद के निर्णय एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण को अपनाते हैं। धारा 138 के तहत पोस्ट डेटेड चेकों के अनादर पर कार्यवाही की वैधता पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने सैम्पेली सत्यनारायण राव (सुप्रा) मामले के बाद लगातार यह माना है कि चेक में लिखित तिथि (परिपक्वता की तिथि) पर कोई कानूनी रूप से लागू होने वाली देनदारी होना आवश्यक है।

15. इस न्यायालय ने एनईपीसी माइकॉन लिमिटेड बनाम मैग्ना लीजिंग लिमिटेड मामले में यह माना कि न्यायालयों को धारा 138 की व्याख्या विधायी उद्देश्य के संदर्भ में करनी चाहिए, जिससे कि दुष्टता को दबाया जा सके और त्वरित उपचार दिया जा सके। अधिनियम का सामान्य उद्देश्य और विशेष रूप से धारा 138 का उद्देश्य चेकों की स्वीकार्यता को बढ़ाना तथा व्यापार लेन-देन में विनिमेय दस्तावेजों की प्रभावशीलता में विश्वास उत्पन्न करना है। धारा 138 चेकों के अनादर को आपराधिक बनाती है। यह नागरिक (सिविल) उपाय के अतिरिक्त है। चेकों के अनादर को आपराधिक घोषित कर विधायिका का उद्देश्य यह था कि विनिमेय दस्तावेज के जारी करने वाले द्वारा बेईमानी को रोका जा सके। धारा 138 की व्याख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह चेक प्राप्त करने वाले की बेईमानी को भी अनुमति दे। यदि चेक सुरक्षा के तौर पर जारी किया गया है, तो इसका उद्देश्य लाभ उठाना है, ताकि यदि जारीकर्ता भविष्य में ऋण का

भुगतान करने में विफल होता है, तो चेक का इस्तेमाल किया जा सके। अतः, चेक सुरक्षा के रूप में इस विचार के तहत जारी किए जाते हैं कि उसमें उल्लिखित राशि का एक भाग या पूरा भाग, चेक के भुनाए जाने से पहले ही चुकाया जा सकता है।

16. इस न्यायालय के निर्णय पोस्ट डेटेड चेकों पर, जब धारा 138 के उद्देश्य के साथ पढ़े जाते हैं, तो यह संकेत देते हैं कि अधिनियम के प्रावधान के तहत अपराध केवल तभी उत्पन्न होता है जब चेक परिपक्वता की तिथि को कानूनी रूप से लागू देनदारी का प्रतिनिधित्व करता हो। धारा 138 के तहत अपराध चेक के अनादर से उत्पन्न होता है, जब उसका भुगतान पाने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि पोस्ट डेटेड चेक को जारी करते समय कानूनी देनदारी का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, अपराध को आकर्षित करने के लिए, चेक को भुनाने या परिपक्वता की तिथि पर कानूनी रूप से लागू होने वाली देनदारी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जैसे कि चेक में उल्लिखित राशि अब कानूनी रूप से लागू ऋण का प्रतिनिधित्व नहीं करती, तो धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं बनता।"

16. एक चेक एक मौद्रिक (धन संबंधी) उपकरण है। कई मामलों में, यह अनादरित या बाउंस हो जाता है। ऐसा तब होता है जब चेक में उल्लिखित राशि उस खाते में उपलब्ध राशि से अधिक होती है, जिससे चेक निकाला गया है।

धारा-138, विनिमेय लिखत अधिनियम के अंतर्गत, उन मामलों में कानूनी परिणाम निर्धारित करने का उद्देश्य रखती है जहाँ कोई चेक अनादरित हो जाता है। यह मुख्यतः प्राप्तकर्ताओं को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। धारा-138 न केवल प्राप्तकर्ता के विरुद्ध आपराधिक दायित्व तय करती है, बल्कि एक दीवानी (सिविल) वाद का भी प्रावधान करती है, जिसे प्राप्तकर्ता जारीकर्ता के विरुद्ध दायर कर सकता है।

17. एक पोस्ट-डेटेड चेक एक ऐसा साधन है जिसमें भविष्य की कोई तिथि लिखी जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि चेक केवल उस भविष्य की तिथि या उसके बाद ही नकद किया जा सकता है। अनादरित चेकों के मामलों में दो महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं—चेक जारी करने की तिथि और चेक की परिपक्वता की तिथि। आमतौर पर इन दोनों तिथियों पर देनदारी या ऋण की राशि समान होती है। लेकिन कुछ मामलों में दोनों तिथियों के बीच आंशिक भुगतान कर दिया जाता है, जिससे परिपक्वता की तिथि पर देनदारी की राशि कम हो जाती है। इस संदर्भ में, यह मुद्दा आता है कि क्या धारा 138, विनिमेय लिखत अधिनियम के तहत अपराध, चेक जारी करने की तिथि की देनदारी/ऋण या परिपक्वता की तिथि पर शेष देनदारी/ऋण के आधार पर कायम होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दशरथभाई त्रिकमभाई पटेल (सुप्रा) मामले में यह निर्णय दिया कि जब चेक जारी किए जाने के बाद लेकिन नकद किए जाने से पहले आंशिक भुगतान किया गया हो, तो धारा 138 कब लागू होगी—इसका उत्तर यही है कि ऐसा भुगतान धारा 56 के तहत चेक पर अंकित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के कई निर्णयों का अवलोकन किया, जिनमें इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) भी शामिल है। बाद के निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय को और गहराई से देखा और यह माना कि आंशिक भुगतान के मामलों में, धारा 138 के प्रयोजनों के लिए चेक जारी करने की तिथि पर देनदारी तय करना अनुचित है, क्योंकि परिपक्वता की तिथि को शेष देनदारी में परिवर्तन हो सकता है। जारी करने की तारीख को देनदारी की राशि चेक के नकद किए जाने की तारीख को देनदारी की राशि से अधिक हो जाएगी। यह उस जारीकर्ता के लिए अन्यायपूर्ण है जिसने पहले ही किसी अन्य

माध्यम से आंशिक भुगतान कर दिया है। इसलिए न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए यह माना कि चेक की परिपक्वता या नकदीकरण की तिथि को देनदारी तय करने के लिए विचार करना चाहिए, ताकि धारा-138 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली देनदारी का सही निर्धारण हो सके।

18. सैम्पेली सत्यनारायण राव बनाम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, (2016) 10 एससीसी 458 मामले में यह माना गया कि धारा 138 के लागू होने की कसौटी यह है कि क्या चेक में उल्लिखित तिथि को कोई कानूनी रूप से लागू देनदारी मौजूद थी। यह माना गया कि यदि इसका उत्तर सकारात्मक है, तो धारा 138 के प्रावधान स्वतः लागू हो जाएंगे।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन मुद्दों का निर्धारण करते समय न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखा है, बल्कि विनिमेय लिखत अधिनियम की विधायी मंशा, विशेष रूप से धारा-138 के संदर्भ में भी विचार किया है। एनईपीसी माइकॉन लिमिटेड बनाम मैग्ना लीजिंग लिमिटेड एआईआर 1995 एससी 1952 और सुनील तोदी बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील संख्या. 1446 of 2021 के मामलों में न्यायालय ने माना कि गलत कार्य को दबाने और शीघ्र राहत देने हेतु, न्यायालयों को धारा-138 की व्याख्या विधायी मंशा के प्रकाश में करनी चाहिए। अधिनियम का व्यापक उद्देश्य, जैसा कि धारा-138 में स्पष्ट किया गया है, चेकों की स्वीकार्यता को बढ़ाना और व्यापार के लिए विनिमेय लिखतों की उपयोगिता हेतु विश्वास को बढ़ावा देना है। विधायी मंशा के मुद्दे को समझने के लिए, बाद वाला मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनील तोदी मामले में दो सदस्यीय पीठ ने धारा-138 में “ऋण या अन्य देनदारी” शब्दसमूह की

व्याख्या की, ताकि विधान की सच्ची मंशा को समझा जा सके। चेक की जारी करने की तिथि पर जारीकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को जो राशि देनी होती है, वह “ऋण” शब्द से अलग “अन्य देनदारियाँ” वाक्यांश के रूप में धारा के भीतर अलग से दी गई है, और इसे “ऋण” शब्द से भिन्न समझना जरूरी है। अतः परिपक्वता की तिथि पर उत्पन्न होने वाली देनदारी भी धारा-138 के अंतर्गत कवर होगी।

20. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मेरा स्पष्ट मत है कि याचिकाकर्ता यह कहकर अपनी देनदारी से नहीं बच सकते कि चेक जारी/निकासी की तिथि पर कोई कानूनी रूप से लागू देनदारी या दायित्व शेष नहीं था। किसी चेक के प्रस्तुतिकरण/परिपक्वता की तिथि उस चेक के तहत कानूनी रूप से लागू ऋण या देनदारी के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक तिथि होगी। यदि चेक प्रस्तुत करने की तिथि पर कोई भी कानूनी रूप से लागू ऋण या दायित्व शेष है, और चेक अनादरित हो जाता है तथा जारीकर्ता कानूनी नोटिस देने के बाद निर्धारित समय सीमा में चेक की राशि का भुगतान नहीं करता, तो विवादित चेक का जारीकर्ता एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे का सामना करेगा। हालांकि, आरोपी याचिकाकर्ता को अभियोग की जाँच के दौरान शिकायतकर्ता से जिरह करने और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी, ताकि चेकों के नकदीकरण हेतु प्रस्तुत करने की तिथि पर कानूनी रूप से लागू ऋण या दायित्व के अनुमान को खंडित किया जा सके; अनुबंध की वैधता को नकारा जा सके या अपने पक्ष में कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत की जा सके।

21. इसके अतिरिक्त, चूंकि उपरोक्त मामलों को वर्ष 2017 में माननीय ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किया गया था और आज तक लगभग सात वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए ट्रायल कोर्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह इन कार्यवाहियों को शीघ्र गति प्रदान करे।
22. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, विविध याचिकाएँ असफल घोषित की जाती हैं और निरस्त की जाती हैं। स्थगन प्रार्थना-पत्र भी इसी के साथ निस्तारित किए जाते हैं।

(अनिल कुमार उपमान), जे

सुधीर असोपा/

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate